भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *303
गुरूवार, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 (शक)

भारत के कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी

***303. डा. सांतनु सेनः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी जानने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2017 से भारत के कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी-कितनी है;

(ग) विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इंडोनेशिया, बांग्लादेश, चीन और संयुक्त राज्य अमरीका की तुलना में भारत में महिलाओं की भागीदारी दर कम होने के क्या कारण हैं; और

(घ) भारत के कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

"भारत के कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी" के संबंध में डा. सांतनु सेन द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 31-03-2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *303 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) एवं (ख): रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से इकट्ठे किए जाते हैं। 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्रमशः 22.0% , 23.3%, और 28.7% था। 2017-18 से 2019-20 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं का वर्ष-वार/राज्य-वार अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) अनुबंध में दिया गया है।

(ग): कुछ अध्ययन दर्शाते हैं कि अधिकांश महिलाएं किसी न किसी रूप में काम करती हैं और अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं, लेकिन उनके अधिकांश कार्य का लिखित प्रमाण नहीं दिया जाता अथवा आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज नहीं किया जाता है, और इस प्रकार महिलाओं के काम को कम रिपोर्ट किया जाता है। तथापि, 27.03.2022 को, स्व-घोषणा आधार पर ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के कुल पंजीकरण में से 53% महिलाएं हैं।

(घ): सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 में सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि के प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यकारी दशाएं (ओएसएच) पर संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्य सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

मजदूरी संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो, के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 31.03.2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *303 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामान्य स्थिति के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	महिलाओं के लिए डब्ल्यूपीआर (% में)		
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**
1	आंध्र प्रदेश	40.8	38.2	37.6
2	अरुणाचल प्रदेश	13.0	14.6	20.8
3	असम	11.0	11.7	14.2
4	बिहार	4.0	4.2	9.4
5	छत्तीसगढ	47.6	47.7	52.1
6	दिल्ली	12.8	16.1	14.5
7	गोवा	22.9	25.0	24.9
8	गुजरात	19.0	21.1	30.7
9	हरियाणा	12.8	14.1	14.7
10	हिमाचल प्रदेश	47.5	56.3	63.1
11	जम्मू और कश्मीर	27.6	30.8	33.1
12	झारखंड	14.6	20.4	35.2
13	कर्नाटक	24.8	24.2	31.7
14	केरल	20.4	25.3	27.1
15	मध्य प्रदेश	31.0	27.5	37.2
16	महाराष्ट्र	29.1	29.9	37.7
17	मणिपुर	19.8	22.9	26.8
18	मेघालय	50.2	49.6	44.1
19	मिजोरम	26.0	26.2	34.9
20	नागालैंड	11.0	16.8	31.1
21	ओड़िशा	18.3	22.8	31.8
22	पंजाब	13.7	17.3	21.8
23	राजस्थान	26.3	30.2	37.6
24	सिक्किम	41.6	48.9	58.5
25	तमिलनाडु	31.3	34.6	38.3
26	तेलंगाना	30.3	35.2	41.8
27	त्रिपुरा	11.1	11.9	23.5
28	उत्तराखंड	16.1	16.2	30.1
29	उत्तर प्रदेश	13.1	13.3	17.2
30	पश्चिम बंगाल	20.1	21.7	23.1
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	19.1	20.1	25.9
32	चंडीगढ़	20.0	22.3	18.8
33	दादरा और नगर हवेली	39.7	42.4	52.3
34	दमन और दीव	24.1	18.1	34.8
35	लक्षद्वीप	9.1	9.2	23.1
36	पुदुचेरी	13.4	28.8	28.4
37	लद्दाख	-	-	51.1
अखिल-भारत		**22.0**	**23.3**	**28.7**

स्रोत: पीएलएफएस रिपोर्ट, एमओएसपीआई